न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 87/2016

1. बली उर्फ बन्नी पुत्री श्योकरण उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी बासमाना तन भाटीवाड़ तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
2. भादर खां पुत्र नारशाह उम्र 66 वर्ष जाति मुसलमान निवासी भाटीवाड़, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
3. मुस्ताक पुत्र अमीन शाह उम्र 50 जाति मुसलमान निवासी भाटीवाड़, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
4. बिसमिला पत्नी स्व. अमीन शाह उम्र 70 वर्ष जाति मुसलमान निवासी भाटीवाड़, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

—अपीलार्थीगण

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार, जरिये भूमि धारक तहसीलदार, उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2. नेमीचंद पुत्र जगदीश प्रसाद उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी भाटीवाड़,तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3. लीक्षमा देवी पुत्री श्योकरण उम्र 45 वर्ष जाति जाट निवासी भाटीवाड़ तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

— रेसपोंडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 07.10.2016 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी
मु0 नं0 04/16 उनवानी नेमीचन्द बनाम मुश्ताक अली
,अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थितिः—

1. श्री प्रदीप कुमार शर्मा, एडवोकेट ——— ————— अपीलांट की ओर से ।
2. श्री विजय कुमार ओला,एडवोकेट ——————————रेस्पोडेंट नंबर 2 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार,,राजकीय अभिभाषक ———— रेस्पोंडेंट नं01 की ओर से ।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

–निर्णय– दिनांक 30.10.2019

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 07.10.2016 तहसीलदार उदयपुरवाटी उनवानी नेमीचन्द बनाम मुश्ताक अली अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध पेश की गई। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि– अपीलांट के ग्राम में जब राज्य सरकार द्वारा राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया गया था तो अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस ने आपसी सहमति से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के मकान व नया खसरा नंबर 239 ग्राम बासमाना में बसे अन्य ग्राम वासियों की सहमति से खसरा नंबर 262 से होकर नया रास्ता कायत कर खसरा नंबर 261 में होते हुये जो कि अपीलांट संख्या 1 की खातेदारी में है, नया मार्ग खेतों व नये खसरा नंबर 239 में बनी नई बस्ती में जाने के लिए कायम किया गया था। राजस्व न्यायालय में उपस्थित अधिकारियों ने अपीलांटस व रेस्पोडेंटस को समझाईश कर ग्रामीणों की सहुलियत व खेतों के आकार को दुरूस्त करने की लोक भावना से प्रेरित होकर उक्त रास्ता कायम किया था। बाद में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त रास्ते पर पक्की रोड डालते हुये ग्रामीणों के आवागमन के लिए चालू कर दिया जो पिछले कई वर्षों से वर्तमान तक चालू है तथा उसी वर्ष राजस्व रिकार्ड में अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस संख्या 3 की खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि खसरा नंबर 260 ग्राम बासमाना व खसरा नंबर 71 ग्राम भाटीवाड़ के राजस्व रिकार्ड को दरूस्त करने का आश्वासन दिया था। वर्तमान में खसरा नंबर 260 व 71 पर अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस संख्या 3 का कब्जा काश्त है। जबकि अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस व अन्य ग्रामीणों की सहमति से कायम किये गये रास्ता जो कि खसरा नंबर 262 व 261 ग्राम बासमाना से होकर पक्की सडक़ के रूप में कायम किया गया है, राजस्व रिकार्ड भी वर्तमान अपीलांटस संख्या–1 व रेस्पोडेंटस संख्या–3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद है, उक्त रिकार्ड भी काबिले दुरूस्त है। पिछले कुछ दिनों पहले रेस्पोडेंट संख्या–2 ने न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के यहां धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधि0 के तहत आवेदन करके भ्रामक राजस्व रिकार्ड की आड में तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 27.4.2015 को कानून विरूद्ध आदेश प्राप्त कर लिया जिसका व्यवहार में पालन करना अनुचित व अन्यायपूर्ण है जिसकी अपील वर्तमान अपीलांट संख्या 1 ने न्यायालय हाजा में पूर्व में पेश की थी जिसे न्यायालय द्वारा अपील संख्या 124/15 के रूप में दर्ज कर दिनांक 25.1.2016 को स्वीकार कर

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी को प्रकरण रिमाण्ड कर पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया गया था कि उभय पहक्षकारान को समचित सुनवाई का अवसर दिया जकार पत्रावली को गुणागुण के आधार पर निस्तारित किया जावे, जिसके पश्चात न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के द्वारा उक्त प्रकरण को पुनः मुकदमा नंबर 4/16 के रूप में दर्ज कर पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये और पुनः प्रकरण में बिना कोई विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाये दिनांक 7.10.2016 को पुन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 27.04.2015 को पारित किये गये अपने निर्णय को पुष्ठ करते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के आवेदन को स्वीकार किये जाने का आदेश फरमाया है जो कि विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 7.10.2016 को पारित करते हुये गंभीर न्यायिक प्रक्रिया की भूल करते हुये बिना किसी उचित प्रक्रिया का अनुसरण किये विधि विरूद्ध आदेश जारी करने की कानूनी भूल की है। ग्राम भाटीवाड की सरहद में खाता संख्या नया 110 खसरा नंबर 71, 72, 73, 74, 76, 77, 376/70 रकबा 3.24 हैक्टर स्थित है, जिसकी खातेदारी अपीलांटस संख्या 2, 3, व 4 के नाम से दर्ज है तथा खसरा नंबर 71 पर वर्तमान में अपीलांटस संख्या 2, 3, व 5 का कब्जा काश्त है। योग्य अदालत मातहत में रेस्पोडेंन्टस संख्या 2 ने जो रास्ता प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है, वो कभी मौके पर मौजुद नहीं था तथा ना ही ग्राम भाटीवाड के ग्रामीण ने इस जगह को कभी रास्ते के रूप में काम में लिया है। यह भूमि अपीलांटस संख्या 2 3 व 4 की खातेदारी की भूमि है। राजस्व रिकार्ड कर्मचारियों ने त्रुटिवश खसरा नंबर 71 गेर मुमकिन दर्ज हो गया जो काबिले दुरूस्त है। ग्राम बासमाना की नया खसरा नंबर 116/2, 260, 261, 262, कुल किता 4 कुल रकबा 2.80 हैक्टर स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी अपीलांटस संख्या 1 व रेस्पोडेन्टस संख्या 3 के नाम से दर्ज है। रेस्पोडेंट संख्या 2 ने मौके की सही स्थिति योग्य अदालत मातहत के सामने नहीं रखी है। मौके पर नये खसरा नंबर 261 व 262 की भूमि की उतरी सीमा होते हुये खसरा नंबर 252 की पूर्वी सीमा व खसरा नंबर 239 की पश्चिमी दिशा में आपसी सहुलियत से खेतों में व खसरा नंबर 239 की कृषि भूमि में बसी आवासीय कॉलोनी में जाने का रास्ता किया गया है। खसरा नंबर 260 ग्राम बासमाना व खसरा नंबर 71 ग्राम भाटीवाड से होकर कोई रास्ता कभी प्रचलन में नहीं रहा है। मु0नंबर 7/14 की पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी भाटीवाड द्वारा तैयार रिपोर्ट मौका दिनांक 25.6.2014 को तैयार करना दर्ज किया है जब कि पत्रावली 07.7.2014 को पेश की गई है। वर्तमान पटवारी रिपोर्ट बाबत खसरा नंबर 260 व 71

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

दिनांक 28.09.2016 को देखने से भी स्पष्ट है कि खसरा नंबर 71 ग्राम भाटीवाड व खसरा नंबर 260 ग्राम बास माना पर खातेदार द्वारा बाजरे की फसल काश्त की हुई है तथा उक्त रिपोर्ट में ऐसी कोई भी वस्तुस्थिति मौके पर जाहिर नहीं की गई है जो कि यह दर्शाती हो कि खसरा नंबर 71 ग्राम भाटीवाड व खसरा नंबर 260 बासमाना की भूमि को रास्ते के रूप में काम लिये जाने के अलामात मौके पर मौजुद हो। अदालत मातहत ने प्रकरण के निस्तारण में तो काश्तकार भूमि का निरीक्षण किया और ना ही सम्पूर्ण हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया और ना ही नये रास्ते बाबत हल्का पटवारी से कोई रिपोर्ट मंगवायी गई। अदालत मातहत का निर्णय व आदेश दिनांक 7.10.2016 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट पूर्णतया स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अदालत मातहत न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय व आदेश दिनाक 7. 10.2016 बसिलसिले नये खसरा नंबर 71 ग्राम भाटीवाड व नये खसरा नंबर 261 ग्राम बासमाना को खारिज फरमाया जावे व अन्य कोई सिद्धि जो चाहे जाने से रह गई हो वह भी दिलवायी जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि– ग्राम भाटीवाड की सरहद में खाता संख्या नया 110 खसरा नंबर 71, 72, 73, 74, 76, 77, 376/70 रकबा 3.24 हैक्टर स्थित है, जिसकी खातेदारी अपीलांटस संख्या 2, 3, व 4 के नाम से दर्ज है तथा खसरा नंबर 71 पर वर्तमान में अपीलांटस संख्या 2, 3, व 5 का कब्जा काश्त है। योग्य अदालत मातहत में रेस्पोडेंन्टस संख्या 2 ने जो रास्ता प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है, वो कभी मौके पर मौजुद नहीं था तथा ना ही ग्राम भाटीवाड के ग्रामीण ने इस जगह को कभी रास्ते के रूप में काम में लिया है। यह भूमि अपीलांटस संख्या 2 3 व 4 की खातेदारी की भूमि है। राजस्व रिकार्ड कर्मचारियों ने त्रुटिवश खसरा नंबर 71 गैर मुमकिन दर्ज हो गया जो काबिले दुरूस्त है। ग्राम बासमाना की नया खसरा नंबर 116/2, 260, 261, 262, कुल किता 4 कुल रकबा 2.80 हैक्टर स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी अपीलांटस संख्या 1 व रेस्पोडेन्टस संख्या 3 के नाम से दर्ज है। रेस्पोडेंट संख्या 2 ने मौके की सही स्थिति योग्य अदालत मातहत के सामने नहीं रखी है। मौके पर

18
अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

नये खसरा नंबर 261 व 262 की भूमि की उतरी सीमा होते हुये खसरा नंबर 252 की पूर्वी सीमा व खसरा नंबर 239 की पश्चिमी दिशा में आपसी सहुलियत से खेतों में व खसरा नंबर 239 की कृषि भूमि में बसी आवासीय कॉलोनी में जाने का रास्ता किया गया है। खसरा नंबर 260 ग्राम बासमाना व खसरा नंबर 71 ग्राम भाटीवाड से होकर कोई रास्ता कभी प्रचलन में नहीं रहा है। मु0नंबर 7/14 की पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी भाटीवाड द्वारा तैयार रिपोर्ट मौका दिनांक 25.6.2014 को तैयार करना दर्ज किया है जब कि पत्रावली 07.7.2014 को पेश की गई है। वर्तमान पटवारी रिपोर्ट बाबत खसरा नंबर 260 व 71 दिनांक 28.09.2016 को देखने से भी स्पष्ट है कि खसरा नंबर 71 ग्राम भाटीवाड व खसरा नंबर 260 ग्राम बास माना पर खातेदार द्वारा बाजरे की फसल काश्त की हुई है तथा उक्त रिपोर्ट में ऐसी कोई भी वस्तुस्थिति मौके पर जाहिर नहीं की गई है जो कि यह दर्शाती हो कि खसरा नंबर 71 ग्राम भाटीवाड व खसरा नंबर 260 बासमाना की भूमि को रास्ते के रूप में काम लिये जाने के अलामात मौके पर मौजुद हो। अदालत मातहत ने प्रकरण के निस्तारण में तो काश्तकार भूमि का निरीक्षण किया और ना ही सम्पूर्ण हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया और ना ही नये रास्ते बाबत हल्का पटवारी से कोई रिपोर्ट मंगवायी गई। अदालत मातहत का निर्णय व आदेश दिनांक 7.10.2016 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट पूर्णतया स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अदालत मातहत न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय व आदेश दिनाक 7.10.2016 बसिलसिले नये खसरा नंबर 71 ग्राम भाटीवाड व नये खसरा नंबर 261 ग्राम बासमाना को खारिज फरमाया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी ने विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत पक्षकारान को सुना जाकर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत गैर मुमकिन भूमि में कटानसुदा रास्ते को बंद करने पर खोले जाने निर्णय पारित किया है। पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

दौराने बहस वकील रेस्पोन्डेंटस ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्राम भाटीवाड़ के भूमि खसरा नंब 71 रकबा 0.10 है0 गैर मुमकिन दर्ज रिकार्ड भूमि में रास्ते को अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में मिला कर रास्ते का आवागमन बंद कर दिये जाने पर आमजनों की परेशानी और रास्ते से आवागमन सुगम बनाने के लिये रास्ते का अवरोध

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

हटाकर रास्ते को बहाल किये जाने के आदेश दिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्राम भाटीवाड की भूमि खसरा नंबर 71 रकबा 0.10. है0 गैर मुमकिन एवं ग्राम बासमाना की भूमि खसरा नंबर 260 रकबा 0.05 हैक्टर गैर मुमकिन में हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार रास्ते की भूमि को अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में मिलाने पर बंद रास्ते से अवरोध हटाकर आवागमन को सुगम बनाने हेतु रास्ते को बहाल करने के आदेश पारित किये गये हैं। हस्तगत प्रकरण पूर्व में इस न्यायालय से रिमाण्ड हुआ है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से तथा इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2018 को मु0नं0 4/2016 उनवानी नेमीचन्द्र बनाम मुस्ताक अली शेर आदि यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अपर कलेक्ट्रेट एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं (राज.)

अति. जिला कलेक्टर

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलेक्टर

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू